जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 208 वीं बैठक दिनांक 28.11.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में ''चिन्तन'' कक्ष मे आयोजित की गई।

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लियाः–

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री दीपक नंदी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सदस्य सचिव, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी–एलपी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में विशेष आमंत्रित निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः–

1. श्री संजय जैन–उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री ओंकारमल सैनी, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री मुरलीधर चेजारा, सहायक नगर नियोजक, जोन–15, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री गोविन्द राम, नायब तहसीलदार, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक नगर नियोजक, जविप्रा जयपुर, जोन–7, 11
8. सहायक नगर नियोजक, मास्टर प्लान शाखा, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा

208 / 28.11.2013

विषय :–बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक क्रमांक 207वीं बैठक दिनांक 08.11.2013 दिनांक 08.20.2013 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् उपरोक्तानुसार कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा

208/28.11.2013

विषय :– सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

प्रकरण विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा गया सेक्टर प्लान के सम्बन्ध में विगत सप्ताह में की गई प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। प्रगति रिपोर्ट में सेक्टर प्लान के साथ प्रशासनिक जोन भी अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा संख्या–1

208/28.11.2013 (जोन–7)

विषय :–संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 153 (पुराना 264) के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रकरण भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित है, जिसके संबंध में जोन स्तर से निर्णय लिया जाकर नगर आयोजना प्रकोष्ठ के ड्राइंग रिकॉर्ड सैल के योजना मानचित्र में संशोधन का नोट अंकित कर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या–2

208/28.11.2013 (जोन–08)

विषय :–निजी खातेदार ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के भूखण्ड खसरा नं. 204/1, 208, 209, 205/1 कुल क्षेत्रफल 17241.83 व.ग. के उप विभाजन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम के प्रावधान "तालिका–2" के अनुसार आवासीय फ्लेट्स हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उपविभाजन की कार्यवाही की जावें। प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड़ों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण का निष्पादन कर दिया जावें।

एजेण्डा संख्या–3

208 / 28.11.2013 (जोन–11)

विषय :–आवासीय योजना ''ग्रास फिल्ड विला'' कुल किता 45 कुल रकबा 24.60 हैक्ट., ग्राम गाडौता तहसील मौजमाबाद के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न संशोधन चाहा गया:–

1. योजना के पूर्व की ओर विद्यमान डब्ल्यू.बी.एम. सड़क की चौड़ाई 80' व पश्चिम की ओर विद्यमान सड़क की चौड़ाई 60' की जावें एवं सडक में कर्व सही दिये जावें।
2. अजमेर रोड़ पर दर्शित प्लान्टेंशन कोरीडोर नियमानुसार सही दर्शायी जावे। प्लान्टेंशन कोरीडोर के संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र लिया जावें कि ''प्लान्टेशन कोरीडोर'' को विकसित करने का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण का रहेगा / वन विभाग / जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वृक्षारोपण करवाया जा सकेगा।
3. पृथक–पृथक दर्शाये खसरों में ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. व सुविधा क्षेत्र पृथक–पृथक दर्शाये जावे।
4. फैसिलिटी एरिया हेतु न्यूनतम 40' सड़क दर्शायी जावे।
5. योजना के खसरों से बाहर क्षेत्र में प्रस्तावित सड़कों के लिए भूमि का समुचित समर्पण करवाया जावे।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र निदेशक (आयोजना) से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर जारी कर दिया जावें।

एजेण्डा संख्या–4

208 / 28.11.2013 (जोन–12)

विषय :– नवरतन कोठारी व अन्य निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम भांकरोटाकंला तथा अन्य खातेदारों को 9–9 मीटर कुल 18 मीटर सडक पहुंच मार्ग एवं नवरतन कोठारी व अन्य की आवेदित भूमि का सुविघा क्षेत्र एक साथ अनुमोदन के संबंध में।

प्ररकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये:–

1. आवेदक के प्रस्ताव में रिंग रोड़ के इन्टरचेंज की व सैक्टर 63 में दर्शित सड़कों की पूर्ण स्थिति को सुपर इम्पोज किया जावे।
2. आवेदक के प्रस्तावित भूखण्ड ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई व जे की पूर्ववर्ती पत्रावलीयों जो कि 90बी, 90ए व भू–उपयोग उपान्तरण की व एकल पट्टे

से संबंधित हैं, उन पत्रावलीयों को अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) व उपायुक्त जोन के स्तर से जाँच कर तदानुसार उनमें प्रस्तावित सड़के जो कि प्राधिकरण के कमिटमेंटस की या अन्य श्रेणी की हैं उन सभी की पूर्ण स्थिति को प्लान में सुपर इम्पोज किया जावे।

3. आवेदक द्वारा प्रस्तावित सड़क जो कि अजमेर रोड़ व मास्टर प्लान की 30 मीटर सड़क को जोडेगी, के लिए भूमि की उपलब्धता एवम कमिटमेंट्स के संबंध में अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) व उपायुक्त जोन के स्तर से समुचित जाँच कर तदानुसार सड़क की चौड़ाई प्रस्तावित की जावें।
4. उपरोक्तानुसार परीक्षण पश्चात अनुशंषा के साथ पत्रावली पर जयपुर विकास आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
5. प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक भूमि का है। अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण का निष्पादन कर दिया जावे।

एजेण्डा संख्या–5

208 / 28.11.2013 (जोन–12)

विषय :– राजस्व ग्राम नीदड तहसील आमेर के खसरा नं. 1149, 1150, 1155, 1675 कुल किता 4 कुल रकबा 4.73 हैक्ट. के बी.डी. नगर आवासीय योजना एवं व्यावसायिक (डिस्ट्रीक्ट सेन्टर) अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में मास्टर विकास योजना 2025 के लागू होने के पश्चात् व पहले कई योजनायें अनुमोदित हो चुकी है, उनकी सड़के सैक्टर प्लान में दर्शित नहीं है एवं योजनाओं के लिए समुचित सड़के उपलब्ध नही हो रही है।

अतः विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र का (प्लानिंग जोन 12 का) जोनल प्लान बनवाये जाने का कार्य मास्टर प्लान सैल के स्तर से करवाया जावे। इसके साथ ही जोन द्वारा आगामी एक माह में प्राधिकरण के कमिटमेंटस लगवाये जावें।

इसके पश्चात इस योजना को बीपीसी (एल.पी.) के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या–6

208/28.11.2013

(जोन–15)

विषय :– ओमेक्स सिटी योजना के भूखण्ड संख्या एफ–13 क्षेत्रफल 5474.58 वर्गमीटर में पार्क एवं जी.एस.एस. हेतु अनुमोदन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि जोन द्वारा ग्रिड़ सब स्टेशन के संबंध में न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय की समुचित जाँच कर जेड़एलसी की कार्यवाही की जावें व अनुशंषा के साथ प्रकरण पुनः बीपीसी (एलपी) के समक्ष रखा जावें।

एजेण्डा संख्या–7

208/28.11.2013 (जोन–15)

विषय :– ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 250/1762, 252, 253, 254/1761, 255/1760, 256, 255श 248, 249, 250, 254 कुल किता 11 रकबा 4.685 हैक्ट. में आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा जारी करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :–

1. इस भूमि के पश्चिम की ओर खसरा संख्या 257 व 258 राजकीय/जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है। इस भूमि में आवागमन हेतु प्लान्टेशन कोरीडोर की व सुविधा क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत भूमि, इन खसरों की भूमि के निकट/साथ मिलाते हुए अंकित कर संशोधित मानचित्र एवं समुचित समर्पणनामा लिया जाकर उपायुक्त जोन द्वारा भूमि का कब्जा लिया जावे।
2. यह भी निर्णय लिया गया कि प्लान्टेशन कोरिडोर के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि प्लांटेशन कोरीडोर को विकसित करने का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण का रहेगा। वन विभाग/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वृक्षारोपण करवाया जा सकेगा।
3. यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदक की सड़कों में आ रही भूमि की मौके से समुचित जाँच कर अपेक्षित समर्पणनामा लिया जाकर सड़क क्षेत्र की भूमि का उपायुक्त जोन द्वारा कब्जा लिया जावे।

4. प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण का निष्पादन कर दिया जावें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

03/12/2013

सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2013 / डी– 242
दिनांकः 3-12-2013

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व) / पश्चिम / एलपीसी / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–...............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

03/12/2013

सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।